भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2191
गुरुवार 12 फ़रवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना के अंतर्गत विमानपत्तनों का विकास

2191. श्री अभिषेक बनर्जीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उड़ान योजना के अंतर्गत विकसित किए गए विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है और ऐसे विमानपत्तनों की राज्य-वार संख्या कितनी है जो वर्तमान में गैर-प्रचालनात्मक अथवा अस्थायी रूप से गैर-प्रचालनरत हैं;

(ख) वर्ष 2017 से ऐसे विमानपत्तनों के निर्माण, अनुरक्षण और रख-रखाव पर कुल कितना व्यय किया गया है और विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) इन विमानपत्तनों से जुड़े मार्गों के लिए कुल कितनी राजसहायता अथवा व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) जारी किया गया है और यह राजसहायता कितनी अवधि तक प्रदान की गई थी; और

(घ) क्या राजसहायता वापस लिए जाने के बाद इन विमानपत्तनों की वाणिज्यिक और परिचालनात्मक व्यवहार्यता की जांच करने के लिए कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): दिनांक 20.01.2026 तक, 'उड़ान' योजना के तहत देशभर में 93 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों (12 हेलीपोर्टों और 2 वॉटर एयरोड्रोमों सहित) को विकसित और प्रचालनरत किया गया है।

गैर-प्रचालनरत हवाईअड्डों का विवरण निम्नानुसार है;
1. छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर
2. गुजरात में भावनगर
3. हिमाचल प्रदेश में शिमला
4. कर्नाटक में कलबुरगि
5. मध्य प्रदेश में दतिया
6. पंजाब में लुधियाना और पठानकोट
7. सिक्किम में पाक्योंग
8. उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती और मुरादाबाद
9. पश्चिम बंगाल में कूच बिहार

उपर्युक्त हवाईअड्डों के विकास के लिए कुल 831.33 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। 'उड़ान' योजना के तहत गैर-प्रचालनरत हवाईअड्डों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, इन हवाईअड्डों को जोड़ने वाले मार्गों के लिए वीजीएफ हेतु अब तक 260.2 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की जा चुकी है।

(घ): 'उड़ान' (आरसीएस) योजना के तहत, हवाईअड्डों और मार्गों की वाणिज्यिक और परिचालन संबंधी व्यवहार्यता का आकलन बाजार-आधारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें मार्गों को तीन वर्ष की निश्चित अवधि के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) समर्थन के साथ अवॉर्ड किया जाता है, जिसके बाद एयरलाइनों से यात्री मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर सब्सिडी के बिना परिचालन करने की अपेक्षा की जाती है।

******